राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015

राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार" कैम्प 2015 ग्राम पंचायत बग्गड
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीम
(नरेन्द्र कुमार जैन पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :– ग्राम पंचायत बग्गड

प्रकरण सं. – 48/2012 रेवा **निर्णय दिनांक – 10.06.2015**

अनवान

1. श्री भवरसिह पिता डाउसिंह जाति रावत निवासी बग्गड तहसील भीम

वादीगण

बनाम

1. श्री प्रकाश चन्द्र पिता गोपीलाल खटीक निवासी बग्गड तहसील भीम
2. श्री प्रेमसिंह पिता अमरसिंह रावत निवासी बग्गड तहसील भीम

प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 53 व 88 आरटीए

वादी का वाद निम्न प्रकार पेश है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के स्वामित्व मे मौजा बग्गड पटवार मण्डल बग्गड में वर्णित कृषि भूमि के आराजी खाता नम्बर 465 आराजी खसरा नम्बर 2813 रकबा 1 बीघा गैमुमंगरी उक्त आराजी में वादी का 11/20 हिस्सा आया हुआ है अर्थात 11 विस्वा है। प्रतिवादी संख्या 1 का 5 विस्वा व प्रतिवादी संख्या 2 का 4 विस्वा उसी अनुरूप प्रतिवादी संख्या 1 उक्त आराजी के दक्षिण की तरफ 5 विस्वा व प्रतिवादी संख्या 2 का उक्त आराजी के उत्तर में 4 विस्वा पर काबिज है। तथा दोनो के मध्य में वादी 11 विस्वा भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है। उक्त वर्णित आराजी रेकार्ड में बंटवारा नही होने के कारण हर समय मौके पर विवाद रहता है व आये दिन प्रतिवादीगण वादी के हिस्से पर आते जाते है व कब्जा करने की कोशिश कर लेते है। रिकार्ड में बंटवारा नही होने से वादी अपने हिस्से को उन्नत व विकसित नही करने से आर्थिक नुकसान उठा रहा है। वादपत्र में पेश कर उक्त निम्न वर्णित आराजि का आने वाले हिस्से का बंटवारा मौके पर रिकार्ड अनुसार अलग अलग कराना चाहता है। वाद कारण अरसा करीब पांच दिन पूर्व पेदा हुआ जब प्रतिवादीगण को उक्त आराजी का बंटवारा करने हेतु कहा गया तो प्रतिवादीगण ने कहा की हम तो नही चलते है। तुम्ही न्यायालय में जाकर बंटवारा करा लों। अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न आश्य की डिक्री प्रदान कराई जावे की मौजा बग्गड पटवार मण्डल बग्गड की वाद पत्र कॉलम संख्या 1 वर्णित आराजियात वाद पत्र की कलम संख्या 2 हिस्से अनुसार बंटवारा कराया जाकर आने वाले हिस्सो का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व उक्त हिस्सा अलग से पृष्ठांकन रिकार्ड व मौके पर किया जावें। अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी हिस्से अनुसार बंटवारा कराया जाकर अमल दरामद कराने के आदेश दिये जावे।

तः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायालय में लम्बित होकर **राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015 कैम्प बग्गड** मे पेश हुआ अतः दोनो पक्षो मे आपसी सहमति से वादी का वाद इस आश्य से डिक्री किया जाता है कि उक्त वर्णित कृषि भूमि के आराजी खाता नम्बर 465 आराजी खसरा नम्बर 2813 रकबा 1 बीघा गैमुमंगरी उक्त आराजी में वादी का 11/20 हिस्सा आया हुआ है अर्थात 11 विस्वा है। प्रतिवादी संख्या 1 का 5 विस्वा व प्रतिवादी संख्या 2 का 4 विस्वा उसी अनुरूप प्रतिवादी संख्या 1 उक्त आराजी के दक्षिण की तरफ 5 विस्वा व प्रतिवादी संख्या 2 का उक्त आराजी के उत्तर में 4 विस्वा पर काबिज है। तथा दोनो के मध्य में वादी 11 विस्वा भूमि पर काबिज होकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

पालना हेतु तहसीलदार भीम को लिखा जाकर मौके पर हिस्सेअनुसार बंटवारा तरमीम किया जाकर पालना से अवगत कराना सुनिश्चित करे।

पीठासीन अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी, भीम